न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद/55/2017

1. रामचन्द्र
2. हरलाल } पुत्रगण बालूराम

समस्त जाति मेघंवशी निवासीगण ग्राम खुड़ी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–वादीगण

बनाम

1. नेमीचंद पुत्र बालूराम जाति मेघंवशी निवासी खुड़ी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
2. मुकन्दाराम पुत्र श्री पोखर मल जाति जाट निवासी खुड़ी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
3. तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़–सीकर
4. पटवारी हल्का, खुड़ी बड़ी, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय:– **दिनांक–10.05.2018**

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 86 रकबा 1.69 हैक्टेयर ग्राम खूडी छोटी में अवस्थित है जिसका प्रतिवादी व अन्य सह खातेदार काश्तकार ने आपस में बंटवारा कर लिया। बंटवारा के मुताबिक प्रतिवादी संख्या 2 के खसरा नम्बर 86 में से 0.85 हैक्टेयर भूमि हक व हिस्से मे आयी जिसके नये खसरा नम्बर 86/2 बनाये गये। यह कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्से मे आये खसरा नम्बर 86/2 रकबा 0.85 हैक्टेयर में 0.20 हैक्टेयर भूमि को श्रवण अग्रवाल पुत्र मुरारीलाल को विक्रय कर दिया जिसका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने पर नया खसरा नम्बर 86/2/2 बनाये गये तथा शेष रकबा 0.65 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम रह गयी है।

यह कि वादी संख्या 2 ने अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 86/2/1 में शेष बची 0.65 हैक्टेयर भूमि में से घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता होना बता कर 0.0877 हैक्टेयर भूमि को विक्रय किये जाने की इच्छा जतायी जिस पर वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी श्र उउउररररररररररररका विक्रय पत्र अपने पक्ष में उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ के यहां दिनांक 23.11.2015 को क्रम संख्या 20110003180 पर पंजीबद्ध करवा लिया तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने समुचित विक्रय राशि अदा कर विक्रय भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 86/2/1 में से 0.0877 हैक्टेयर भूमि क्रय करने के उपरांत उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय पत्र की प्रति देकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से क्रय की भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु प्रदत कर दी प्रतिवादी संख्या 4 ने क्रय की भूमि का राजस्व रिकार्ड में शीघ्र इन्द्राज वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से किये जाने का आश्वासन दिया।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित भूमि को क्रय किये जाने के उपरांत कब्जा प्राप्त कर विधिवत रूप से उपयोग उपभोग में ले रहे है प्रतिवादी संख्या 2 का विवादित भूमि को विक्रय किये जाने के उपरांत किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं रहा है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ही क्रय भूमि के वर्तमान में एक मात्र मालिक काबिज, काश्तकार अधिकारी है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा क्रय की भूमि का राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी 4 को विक्रय पत्र की प्रति दिये जाने के उपरांत बार–बार सम्पर्क करते रहे जिस पर प्रतिवादी संख्या 4 ने कोई न कोई बहाना बनाकर समय निकालता रहा तथा दिसम्बर 2016 में प्रतिवादी संख्या 1 ने कागजात तैयार कर प्रतिवादी संख्या 3 को दिया जाना बताया जिस पर वादीगण ने जनवरी में प्रतिवादी संख्या 3 से सम्पर्क किया जिसने शीघ्र कार्यवाही कर विक्रीत भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में शीघ्र किये जाने का आवश्वासन दिया।

यह कि वादीगण ने प्रतिवदी संख्या 3 से कई बार मिलने की कोशिश की लेकिन हर बार कभी मिटिंग में व कभी अन्य कार्यवश बाहर गया हुआ कार्यालय के कर्मचारी बताते रहे काफी कोशिश के बाद प्रतिवादी संख्या 3 से दिनांक 29.03.2017 को सम्पर्क हुआ जिसने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से क्रय की भूमि का राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी 2 द्वारा

सहमति देने व अन्य कई तरफ की पूर्ति किये जाने की कहकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने से इंकार कर दिया।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 86/2/1 में से 0.0877 हैक्टेयर भूमि को क्रय किये जाने के उपरांत विधिवत प्राप्त कर उपयोग व उपभोग किये जाने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने में तरह–तरह के अनावश्यक बिना आधार के अड़चन उत्पन्न कर इन्द्राज नहीं कर रहे है जिनको कानूनन ऐसा किये जाने का कोई अधिकार नहीं है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 कृषि भूमि खसरा नम्बर 86/2/1 में से 0.0877 हैक्टेयर भूमि को वैध रुप से समुचित प्रतिफल अदा कर विधिवत पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किये जाने के कारण विक्रीत भूमि के वैध मालिक होन से उसी अनुरुप राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने के अधिकारी है लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 जान बूझकर किसी न किसी प्रकार अड़चन उत्पन्न कर उक्त विक्रीत भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं कर रहे है जिसे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 86/2/1 में से क्रय की भूमि में से 0.0877 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार उद्घोषित करवाकर उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाये जाने के अधिकार है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 कृषि भूमि खसरा नम्बर 86/2/1 में से क्रय की भूमि रकबा 0.0877 हैक्टेयर का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने के उपरांत अपने हक स्सि का बंटवारा करवाकर उसी अनुरूप नींव सींव कायम करवाकर राजस्व में अलग खसरा नम्बर अंकित करवाकर उपयोग व उपभोग में लेने के अधिकारी है जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा उत्पन्न न किये जाने हेतु उनको स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने के अधिकारी है जिसके लिये निवेदन किया जाता है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने संयुक्त रुप से कृषि भूमि खसरा नम्बर 86/2/1 में से 0.0877 हैक्टेयर भूमि क्रय करने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हित समान है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 वर्तमान में मौके पर मौजूदरान होने से वाद वादीगण के साथ प्रस्तुत करने में असमर्थ है जिसके कारण उसको औपचारिक प्रतिवादी के रुप में संयोजित किया है जिसके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है बल्कि बाद में अनुतोष वादीगण के अनुरुप ही प्रतिवादी संख्या 1 प्राप्त करेन का अधिकार होने से उसी अनुरुप मांग की गयी है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर 86/2/1 में से 0.0877 हैक्टेयर भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किये जाने के उपरांत उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने के लिये विक्रय की प्रति प्रदान करने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा राजस्व रिकार्ड में जान बुझकर इन्द्राज न किये जाने के कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। यह कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 से दिनांक 29.03.2011 को सम्पर्क कर क्रय की भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने के लिये निवेदन करने पर साफ मना करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ।

यह कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 राज्य कर्मचारी होने से उनके विरुद्ध वाद संस्थित किये जोन से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. के तहत 2 माह नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक है लेकिन वादीगण का वाद अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण से नोटिस दिया जाकर वाद संस्थित किये जाने से यह वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा जिसके कारण धारा 80(2) के तहत बिना नोटिस दिये न्यायालये से इजाजत लेकर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के वि☺ वाद संस्थित किया जा रहा है वाद इजाजत प्रस्तुत करने की स्वीकृति के लिये अलग से आवेदन संलग्न प्रस्तुत है।

यह कि विवादित भूमि ग्राम खूड़ी छोटी में अवस्थित होने व वही के वादीगण व प्रतिवादीगण निवासी होने से उपरोक्त वाद माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होन से सादर प्रस्तुत है। यह कि वाद वादी समुचित कोर्ट फीस पर सादर प्रस्तुत है। यह कि प्रतिवाद संख्या 3 द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज न किये जाने हेतु दिनांक 29.03.2017 को साफ मना कर दिये जाने के कारण मना करने के दिवस से सादर अन्दर मियाद वाद प्रस्तुत है। यह कि उक्त वाद पत्र दो प्रतियों में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

यह कि वाद वादीगण प्रस्तुत कर निम्न सहायतार्थ माननीय न्यायालय से सहायतार्थ याचना करते है– (क) कि वाद वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को कृषि भूमि खसरा नम्बर 86/2/1 रकबा 0.65 हैक्टेयर में से विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2015 के जरिये क्रय की गयी भूमि रकबा 0.0877 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जावें। (ख) कि वाद वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादीगण की कृषि भूमि का विधिवत नींव सींव कायम करवाकर बंटवारा करवाया जाकर उसी अनुरुप राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाया जावें। (ग) कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीगण के हित में हो प्रतिवादीगण के विरुद्ध पारित फरमाया जावें। (घ) कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

Web Copy, Not Official

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली आज राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 केम्प नरोदड़ा में पेश हुई। वादीगण सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जिसको तस्दीक किश जाकर शामिल पत्रावली किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उक्त राजीनामा में यह उल्लेखित किया कि कि वादीगण प्रतिवादी सं. 1 को कृषि भूमि खसरा 86/2/1 रकबा 0.65 हैक्टेयर में से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2015 के जरिये क्रय की गयी भूमि रकबा 0.0877 हैक्टेयर का खातेदार, काश्तकार उद्घोषित फरमाया जावें। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के डिक्री फरमाया जावें। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर उपस्थित उभयपक्ष ने वाद को मुताबिक राजीनामा एवं सहमति के आधार पर वाद को डिक्री किया जाने का अनुरोध किया। जिस पर उभयपक्ष को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में उभयपक्ष सहमत है। जिसमें पत्रावली में वर्णित तथ्यों, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, प्रस्तुत दस्तावेजात व पत्रावली के अवलोकन के बाद वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि ग्राम खुड़ी छोटी में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 86/2/1 रकबा 0.65 हैक्टेयर में से विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2015 के जरिये क्रय की गयी भूमि रकबा 0.0877 हैक्टेयर का वादीगण सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तदनुसार खाते में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना वहन करेंगें। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा केम्प कोर्ट नरोदड़ा में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– नरोदड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

रामचन्द्र आदि बनाम नेमीचंद आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 55/2017 **निर्णय दिनांक– 10.05.2018**

वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.05.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि ग्राम खुड़ी छोटी में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 86/2/1 रकबा 0.65 हैक्टेयर में से विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2015 के जरिये क्रय की गयी भूमि रकबा 0.0877 हैक्टेयर का वादीगण सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तदनुसार खाते में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना वहन करेंगें। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे।

यह आज तारीख 10.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– नरोदड़ा

मुहर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– नरोदड़ा